

## FIRE SAFETY CERTIFICATE

No. LS 9/KOTA SOUTH/FIRE NOC/2024-25/72361Dated : 22/01/2025

Certified that the **Maa Bharti Sr.Sec.School at Swami Vivekanand Nagar, Kota South, Kota (Raj.)** comprised of **Nill** basement(s) and **G+3**(upperfloors) owned occupied by **Maa Bharti Sr.Sec.School** have complied with the fire prevention and fire safety requirements in accordance with rule of state/UT Fire service Rules and verified by the officer concerned of fire service on **15-01-2025** in the presence of Mahesh Chand Vijay, Swami Vivekanand Nagar, Kota (Secretary) and that the building premises is fit for occupancy upto classes **XII** with effect from **22-01-2025** a period of **One year** in accordance with rule and subject to compliance of specific conditions as appended.

1. उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने कि तिथि से 1 वर्ष की अवधि हेतु ही मान्य रहेगा। 1 वर्ष के बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त मान्य होगा।
2. भवन में समस्त स्टॉफ व सिविलीटी गार्ड्स को वर्ष में कम से कम 1 बार अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलवाया जाना आवश्यक होगा एवं वर्ष में 3 बार स्वयं को स्तर पर मार्कड्रिल आयोजित की जानी होगी।
3. स्थापित अग्निशमन उपकरणों को सदैव कार्यशील अवस्था में रखने होंगे।
4. भवन का मौका निरीक्षण के दौरान अग्निशमन अधिकारियों के द्वारा दिये गये आवश्यक दिशा निर्देशों की पालना की जानी होगी।
5. यदि राज्य सरकार या निगम द्वारा भविष्य में कोई नियम/उपनियम जारी किये जाते हैं तो आवेदन कर्ता, संचालक, व्यवस्थापक द्वारा मान्य होंगे।
6. भवन का अग्निशमन विभाग के अधिकारियों द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व स्थापित अग्निशमन यंत्र/उपकरण कार्यशील अवस्था में नहीं पाये जाने पर उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र/अभिज्ञाप पत्र निरस्त किये जाने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता को स्वतन्त्र रूप से होगा।
7. स्थापित किये गये फायर सिस्टम को कार्यशील अवस्था में रखे जाने हेतु 24 घंटे प्रशिक्षित कर्मचारी/स्टाफ रखने होंगे तथा ए.एम.सी. करवाई जा कर सिस्टम का रख रखाव व संचालन करना अनिवार्य होगा।
8. अग्निशमन वाहन की सुगमता से भवन तक पहुच सके इसके लिये पर्याप्त खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा।
9. भवन के अन्दर किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अति ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखा जाये।
10. भवन में रोप लेडर व दो रस्से भवन की उचाई जितना हर समय भवन में सुरक्षित स्थान पर रखा जाना अनिवार्य है एवं भवन में आपातकालिन सीडियों/निकास द्वार अवरोध नहीं होनी चाहिए।
11. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र केवल अग्निशमन सुरक्षा की दृष्टि से ही भवन के लिये मान्य है।
12. भूमि व भवन रहवासी सम्बन्धित किसी भी प्रकार के वाद विवाद हेतु यह पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नहीं होगा एवं इस आशय में आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
13. उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र भवन/परिसर में आवेदक द्वारा अग्निशमन से समस्त प्रावधान पूर्ण किये जाने के पश्चात रूफटॉफ रेस्टोरेन्ट संचालन हेतु मान्य होगा।
14. आपातकालीन स्थिति में सूचना तुरन्त अग्निशमन विभाग तक पहुचे इसके लिये स्वचालित आग चेतावनी (साईन बोर्ड/दूरभाष नम्बर) इत्यादी लगवाये जाने की व्यवस्था का प्रावधान करना अनिवार्य होगा।

Issued on **22-01-2025** at Nagar Nigam Kota South place by Strike out whichever is not applicable.

Signature with Seal

Name

Designation

Name &amp; Address of Department office

To

**Maa Bharti Sr.Sec.School at Swami Vivekanand Nagar, Kota South, Kota (Raj.)**

## ENDORSEMENT

The No Objection Certificate issued by Fire Service stand an annulled due to  
..... (reasons to be recorded)

(Name and designation of the authorized signatory)

\* The filled up certificate should be either in Hindi of English. If it is issued in vernacular language translated notarized version in English be uploaded along with the original vernacular certificate as single pdf.